फर्द अहकाम

य उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

128/2024

रामजीलाल **बनाम** रणजीत

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता मुकेश मामोडिया हाजिर। अप्रार्थी संख्या 3, 5, 7 की ओर से अधिवक्ता नाथूलाल शर्मा हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 6, 8, 9 को सम्यक तामील के उपरान्त भी हाजिर नही, अतः अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 6, 8, 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी को सुनने के उपरान्त हम पाते है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार है, एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ है। अतः वाद बहुलता को रोकन एवं वाद की विषयवस्तु को बनाऐ रखने हेतु प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित भूमि पर उभय पक्षों को ताफैसलावाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	